कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14,भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066
Bhavishya Nidhi Bhawan , 14, Bhikaji Cama Place, New Delhi -110066
वैबसाईट/Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं: हि.अनु./हिंदी सलाहकार समिति/2017-18/39वीं बैठक/ 391 दिनांक: 23 JUL 2018

सेवा में,

सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय / अंचल),
निदेशक, पीडीनास,
सभी प्रभारी क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय/ आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान
क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त (प्र.से.प्र.) ।

विषय: श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) माननीय श्री संतोष गंगवार जी की अध्यक्षता में आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की 40वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. ई-14012/01/2018-रा.भा.नी. दिनांक 16.07.2018 की प्रति आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एततद्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

अनुरोध है कि उक्त बैठक के संबंध में मंत्रालय से प्राप्त उपर्युक्त पत्र में दिए गए समस्त महत्वपूर्ण बिंदुओं पर त्वरित अपेक्षित कार्रवाई कराया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्रवाई से मुख्यालय को भी अवगत कराएं ताकि तदनुसार मंत्रालय को सूचित किया जा सके ।
[केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अनुमोदन से जारी]

भवदीय,

संलग्न: यथोपरि ।

(के.एल. गोयल)
अपर केंद्रीय भ.नि.आयुक्त (मुख्यालय)/प्रभारी राजभाषा

प्रतिलिपि:

(1) संयुक्त निदेशक (रा.भा.), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को उनके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
(2) क्षे.भ.नि.आ. (एन.डी.सी.) को वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ ।

18/07/18
(एम.पी.एस. राठौरिया)
उप निदेशक (राजभाषा)

117

स्पीड पोस्ट द्वारा
अति तत्काल

फा. सं.ई-14012/01/2018- रा.भा.नी.
भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन,रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक 16.07.2018

सेवा में

कार्यालय अध्यक्ष
सभी अधीनस्थ/संबद्ध/स्वायत्त कार्यालय
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

विषय: **श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) माननीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी की अध्यक्षता में आयोजित हिन्दी सलाहकार समिति की 40वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।**

महोदय/महोदया

श्रम और रोजगार मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 40वीं बैठक माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार जी की अध्यक्षता में दिनांक 28.06.2018 को सांय 6.00 बजे तिरूपति (आंध्र प्रदेश) में आयोजित की गयी थी। बैठक के कार्यवृत्त की प्रति पहले ही आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा चुकी है।

बैठक में लिए गए निर्णयों/दिए गए सुझावों के अनुसार मंत्रालय के प्रत्येक अधीनस्थ/संबद्ध/स्वायत्त कार्यालय द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है:-

1. आम बोल-चाल की भाषा का प्रयोग करते हुए सरल एवं सहज हिन्दी का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाए ताकि मंत्रालय एवं विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन को मिल सके।
2. हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए।
3. राजभाषा संबंधी सभी रिक्त पदों को भरने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य करते हुए इन्हें एक निश्चित समय सीमा में भरा जाए।
4. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा इसके अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों को अनिवार्यत: द्विभाषी रूप में जारी किया जाए।

5. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए अर्थात् हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाएं।
6. उच्च अधिकारियों द्वारा बैठकों में हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जाए ताकि कनिष्ठ अधिकारियों को प्रेरणा तथा प्रोत्साहन मिल सके।
7. अधिकाधिक टिप्पणियां हिन्दी में की जाएं तथा 'क' एवं 'ख' क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिन्दी में दिए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि 'क' एवं 'ख' क्षेत्र से केवल अंग्रेजी में पत्र जारी न किए जाएं। पत्र हिन्दी में अथवा द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं केवल तभी पत्राचार संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।
8. जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, उन्हें अविलम्ब राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित कराया जाए।
9. वेबसाइट को पूर्णतः द्विभाषी रूप में रखा जाए तथा वेबसाइट पर अंग्रेजी पाठ अपलोड करते समय उसका हिन्दी रूपान्तर भी अनिवार्य रूप से वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
10. हिन्दी को बढ़ावा देने तथा कर्मचारियों की हिन्दी में काम करने की झिझक दूर करने के लिए प्रत्येक तिमाही में अनिवार्य रूप से हिन्दी कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाए।
11. कार्यालय में बार-बार प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी शब्दों/वाक्यांशों तथा उनके हिन्दी अनुवाद को संग्रहित करके कार्यालय सहायिका अथवा संदर्भिका का निर्माण किया जाए ताकि हिन्दी में काम करते समय उसका प्रयोग किया जा सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का कार्यान्वयन अपने मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सुनिश्चित कराएं तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई से मंत्रालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

देवेन्द्र 16/7/18

(देवेन्द्र सिंह)
आर्थिक सलाहकार,
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
दूरभाष :011-23710446

प्रतिलिपि:-

1. महानिदेशक, रोजगार महानिदेशालय, नई दिल्ली।
2. मुख्य श्रमायुक्त (कें.), मुख्य श्रमायुक्त का कार्यालय,नई दिल्ली।
3. महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान, मुम्बई।
4. महानिदेशक, श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़।
5. महानिदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद।
6. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली।
7. निदेशक, दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर।
8. महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली।
9. महानिदेशक, वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा।

देवेन्द्र सिंह 16/7/18

(देवेन्द्र सिंह)
आर्थिक सलाहकार,
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
दूरभाष :011-23710446